छत्तीसगढ़ विधान सभा

(चतुर्थ)

खण्ड -14

जुलाई, 2018 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(दिनांक [illegible] सितम्बर, 2018 को सदन में प्रस्तुत)

नया रायपुर

शासकीय मुद्रणालय

2018

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अध्याय - 7 "प्रश्न" में नियम क्रमांक 28 से नियम क्रमांक 50 तक सभा में माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने की सम्पूर्ण प्रक्रिया, ग्राह्यता की शर्तें और सभा में प्रश्नकाल की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान उल्लेखित किए गए हैं.

प्रश्नकाल सभा का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है. इसलिए सैद्धांतिक रूप से यह भी स्थापित हो चुका है कि प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया जाता. इसके साथ ही जब एक बार प्रश्न अध्यक्ष के द्वारा ग्राह्य कर लिया जाता है, तब शासन के लिए उस प्रश्न का उत्तर दिया जाना बंधनकारी होता है. अपवादस्वरूप कभी-कभी ऐसी स्थितियां हो सकती है कि शासन के लिए यह संभव न हो कि वह निर्धारित अवधि में प्रश्न का उत्तर उपलब्ध कराए. ऐसी परिस्थिति में भी शासन के संबंधित विभाग को यह तो सूचित करना ही पड़ता है कि - "जानकारी एकत्रित की जा रही है".

इस संकलन में जुलाई, 2018 सत्र की बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियों में मुद्रित अपूर्ण उत्तरों का संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित पूर्ण उत्तरों तथा पृथक वितरित एवं पुनरीक्षित उत्तरों को मुद्रित कराया गया है.

शासन द्वारा पूर्व में दी गयी जानकारी बड़े कोष्टक [.....................] के अंदर मुद्रित है. इस संकलन में गृह तथा कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रश्न तथा यथा समय विभागों से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची के शुद्धि पत्रों की सूची सम्मिलित किए गए हैं.

रायपुर : **(चन्द्र शेखर गंगराड़े)**
दिनांक : 06 सितम्बर, 2018. सचिव.

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ क्रमांक (3)
1.	जुलाई, 2018 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर	1 से 4
2.	जुलाई, 2018 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट	5 से 13
3.	जुलाई, 2018 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोंत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची.	14 से 32

छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2018 सत्र से संबंधित प्रश्नोंत्तर

अकलतरा विधानसभ क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु का मुआवजा कार्यवाही

01. (क्र. 24) **श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा)** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से मई, 2018 तक वाहन दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? कितने लोग घायल हुये ? (ख) मृतक और घायल व्यक्ति के परिवार को कितना-कितना मुआवजा दिया गया ? कितने मृत व घायल व्यक्ति के परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया हैं ? कब तक मुआवजा दिया जावेगा ? (ग) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना को रोकने हेतु शासन द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैंकरा) : [(क) प्रश्नाधीन अवधि में अकलतरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वाहन दुर्घटना में 190 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 488 लोग घायल हुये. (ख) 50 मृतक के परिवार को रू. 11,00,000/- (रू. ग्यारह लाख) आर्थिक सहायता राशि तथा हिट एण्ड रन के प्रकरण में सोलेशियम योजना के अन्तर्गत 01 मृतक के परिवार को रू. 25,000/-(रु. पच्चीस हजार) मुआवजा राशि प्रदाय किया गया. 17 मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन होने से लंबित है. घायल व्यक्तियों को मुआवजा राशि एवं लंबित प्रकरण की जानकारी निरंक है. लंबित प्रकरणों में प्रक्रिया पूर्ण होने पर आर्थिक सहायता राशि प्रदाय की जावेगी. (ग) क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु शासन द्वारा निम्नानुसार प्रयास किये जा रहे हैं :-

1. सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है.
2. दुर्घटनाजन्य स्थलों का चिन्हांकन कर दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण कर सड़क दुर्घटना रोकने हेतु कारगर प्रयास किये जा रहे हैं.
3. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर विधि-सम्मत कार्यवाही की जा रही है.
4. जिला चिकित्सालय के माध्यम से वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया.
5. स्कूल एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है.
6. पुलिस विभाग के वाहनों से निरंतर पेट्रोलिंग किया जा रहा है.
7. दुर्घटनाजन्य स्थलों के समीपस्थ ग्रामों में यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है.
8. यातायात रथ के माध्यम से आम नागरिकों एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देकर लोगों का जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.
9. सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को जागरूक करने हेतु नुक्कड़ नाटक, यातायात प्रशिक्षण, हैलमेट-जागरूकता रैली आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया.]

(क) प्रश्नाधीन अवधि में अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वाहन दुर्घटना में 190 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 488 लोग घायल हुये.

(ख) 48 मृतक के परिवार को रू. 10,80,000/- (रू. दस लाख अस्सी हजार) आर्थिक सहायता राशि तथा हिट एण्ड रन के प्रकरण में सोलेशियम योजना के अन्तर्गत 01 मृतक के परिवार को रू. 25,000/- (रू. पच्चीस हजार) मुआवजा राशि प्रदाय किया गया. 16 मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन होने से लंबित है. घायल व्यक्तियों को मुआवजा राशि एवं लंबित प्रकरण की जानकारी निरंक है. लंबित प्रकरणों में प्रक्रिया पूर्ण होने पर आर्थिक सहायता राशि प्रदाय की जावेगी.

(ग) क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु शासन द्वारा निम्नानुसार प्रयास किये जा रहे हैं :-

01. सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है.
02. दुर्घटनाजन्य स्थलों का चिन्हांकन कर दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण कर सड़क दुर्घटना रोकने हेतु कारगर प्रयास किये जा रहे हैं.
03. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर विधि-सम्मत कार्यवाही की जा रही है.
04. जिला चिकित्सालय के माध्यम से वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है.
05. स्कूल एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है.
06. पुलिस विभाग के वाहनों से निरंतर पेट्रोलिंग किया जा रहा है.
07. दुर्घटनाजन्य स्थलों के समीपस्थ ग्रामों में यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है.
08. यातायात रथ के माध्यम से आम नागरिकों एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देकर लोगों का जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.
09. सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को जागरूक करने हेतु नुक्कड़ नाटक, यातायात प्रशिक्षण, हेलमेट-जागरूकता रैली आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

[परीक्षित उत्तर]

खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में किसानों को फसल बीमा का प्रदाय

02. (क्र. 414) **श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017-18 से मई, 2018 तक कितने ग्रामों के कितने किसानों का फसल बीमा प्रदाय किया गया ? सिंचित एवं असिंचित रकबा की जानकारी भी दें ? (ख) प्रति हेक्टेयर सिंचित व असिंचित रकबा को किस दर से बीमा राशि प्रदाय किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : [(क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है.]

(क) फसल बीमा योजनाओं में जानकारी का संधारण विधानसभा क्षेत्रवार एवं ग्रामवार नहीं अपितु तहसील एवं ग्राम पंचायतवार किया जाता.

प्रश्नाधीन अवधि में खल्लारी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित तहसीलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत में बीमित कृषक, सिंचित एवं असिंचित रकबे का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 पर है.

(ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत सिंचित व असिंचित रकबे में प्रति हेक्टेयर बीमा भुगतान की दर का ग्राम पंचायतवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है.

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मंडलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 पर है.

[पृथक वितरित उत्तर]

जिला राजनांदगांव में कृषकों को फसल बीमा का प्रदत्त लाभ

03. (क्र. 546) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला-राजनांदगांव में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान कितन कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया है ? (ख) उपरोक्त कृषकों में से कितने कृषकों को फसल बीमा का लाभ प्राप्त हुआ ? (ग) फसल बीमा की राशि का भुगतान दिनांक 1 जून 2018 की स्थिति में कितना लंबित है ? लंबित प्रकरणों का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : [(क) प्रश्नाधीन अवधि में राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित कृषकों की फसल मौसमवार की संख्या † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" पर है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" पर है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" पर है.]

(क) प्रश्नाधीन अवधि में राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल मौसमवार बीमित कृषकों की संख्या † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" पर है. (ख) एवं (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" पर है.

[पुनरीक्षित उत्तर]

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल क्षति की बीमा राशि का भुगतान

04. (क्र. 601) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17, 2017-18 में प्रदेश के कुल कितने किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराया ? इनसे प्रीमियम के रूप में कितनी राशि किस दर से ली गई ? (ख) कंडिका "क" के कितने किसानों को फसल क्षति की स्थिति में किस दर पर फसल बीमा क्षति पूर्ति राशि भुगतान की गई ? (ग) कंडिका "क" एवं "ख" के परिप्रेक्ष्य में कितने किसानों के फसल बीमा राशि का भुगतान शेष है ? कब तक किया जाएगा ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : [(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है.]

(क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है.

(ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत दावा का निर्धारण कृषकवार किये जाने का प्रावधान नहीं है. प्रश्नाधीन अवधि में राज्य में दावा भुगतान हेतु पात्र पाये गये कृषकों तथा उन्हें दावा भुगतान का जिलेवार, फसल मौसमवार, वर्षवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है.

(ग) दावा भुगतान हेतु पात्र पाये गये कृषकों में से अद्यतन दावा भुगतान हेतु शेष कृषकों का जिलेवार, फसल मौसमवार, वर्षवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है. पात्र कृषकों की शेष दावा राशि के भुगतान की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने यथावश्यक कार्यवाही की जा रही है, जिसकी निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है. रबी वर्ष 2017-18 अंतर्गत दावा गणना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

[पृथक वितरित उत्तर]

बीज विकास निगम द्वारा प्रमाणित एवं आधार बीजों का उत्पादन

05. (क्र. 661) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. बीज विकास निगम द्वारा वर्ष 2014-15 से 2018-19 में 30 मई 2018 तक कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी किस्मों की धान एवं अन्य फसलों की प्रमाणित बीजों एवं आधार बीजों का उत्पादन किया गया ? कृपया वर्षवार अलग-अलग विवरण देवें ? (ख) चालू खरीफ वर्ष में किस किस विकास खण्ड में कितनी-कितनी मात्रा में धान की कौन-कौन सी किस्मों की कितनी-कितनी मात्रा में अभी तक आपूर्ति की गई है ? कृपया विकास खण्ड एवं माहवार पूरी जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : [(क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है.]

(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है.

(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है.

[पृथक वितरित उत्तर]

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में कृषकों को फसल बीमा का लाभ

06 (*क्र.665) **श्री भोलाराम साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कितने किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं मौसम अधारित फसल बीमा कराया गया ? प्रति एकड़ फसल बीमा की राशि क्या है ? (ख) कितने किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया एवं कितनी प्रिमियम राशि जमा कराई गई ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : [(क) फसल बीमा योजनाओं की विधानसभा क्षेत्रवार नहीं अपितु तहसीलवार संधारित की जाती हैं. बीमित फसलों हेतु राशि का निर्धारण प्रति एकड़वार नहीं अपितु प्रति हेक्टेयरवार किया जाता है. प्रश्नाधीन अवधि में खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली तहसीलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित कृषकों की संख्या एवं प्रति हेक्टेयर बीमित राशि का विवरण † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" पर है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" पर है.]

(क) फसल बीमा योजनाओं की विधानसभा क्षेत्रवार नहीं अपितु तहसीलवार संधारित की जाती है. बीमित फसलों हेतु राशि का निर्धारण प्रति एकड़वार नहीं अपितु हेक्टेयरवार किया जाता है.

प्रश्नाधीन अवधि में खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली तहसीलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित कृषकों की संख्या एवं प्रति हेक्टेयर बीमित राशि का विवरण † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" पर है.

(ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" पर है.

[पुनरीक्षित उत्तर]

---

† परिशिष्ट "दो"

कृषकों को फसल बीमा का भुगतान

07 (*क्र.693) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16, 2016-17, व 2017-2018 में खरीफ वर्ष में कौन सी फसल बीमा योजना लागू थी ? कितने किसानों में बीमा कराया ? उक्त फसल बीमा योजना के तहत कितनी राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को दी गई ? प्रीमियम में किसानों एवं राज्य सरकार का अंश कितना था ? किन-किन कंपनी से फसल बीमा कराया गया था ? (ख) प्रश्नांश "क" की अवधि में योजनान्तर्गत फसल क्षति की स्थिति में कितने किसानों द्वारा बीमा क्लेम किया गया ? प्रभावित हितग्राही किसान को प्रति एकड़ कितनी बीमा राशि का भुगतान किया गया ? कितनी शेष है ? वर्षवार, जिलेवार प्रभावित किसानों की संख्या, उन्हें बीमा भुगतान की राशि की जानकारी देवें ? (ग) क्या प्रभावित किसानों को फसल बीमा क्लेम का भुगतान अनावरी रिपोर्ट के आधार पर दिया गया ? यदि नहीं तो किस आधार पर दिया गया ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : [(क) प्रश्नाधीन अवधि में कृषि फसलों एवं उद्यानिकी फसलों हेतु संचालित फसल बीमा योजना, योजनावार बीमित कृषक, देय प्रीमियम (कृषक अंश, राज्यांश एवं केन्द्रांश) तथा क्रियान्वयक बीमा कंपनी की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" पर है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में संचालित फसल बीमा योजनाओं में कृषकों द्वारा बीमा क्लेम करने का प्रावधान नहीं है अपितु कृषि फसलों हेतु संचालित फसल बीमा योजनाओं के प्रावधान अनुसार अधिसूचित फसलों की फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज तथा उद्यानिकी फसलों में संचालित पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत योजना के प्रावधान अनुसार अधिसूचित स्व-चलित मौसम केन्द्रों से प्राप्त मौसमी आकड़ों के आधार पर दावा भुगतान एवं पात्रता का निर्धारण किया जाता है. उक्त योजनाओं में दावा भुगतान की गणना बीमित कृषकवार नहीं करते हुए अधिसूचित बीमा इकाईवार किया जाता है. प्रश्नाधीन अवधि में योजना प्रावधान अंतर्गत दावा भुगतान हेतु पात्र पाये गये कृषकों की संख्या, दावा भुगतान की गई राशि व शेष राशि का विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" एवं "स" पर है. (ग) बीमित कृषकों को फसल बीमा क्लेम का भुगतान अनावरी रिपोर्ट के आधार पर नहीं किया जाता है अपितु कृषि फसलों हेतु संचालित फसल बीमा योजनाओं के प्रावधान अनुसार अधिसूचित फसलों की कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज तथा उद्यानिकी फसलों में संचालित पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत योजना प्रावधान अनुसार अधिसूचित स्व-चलित मौसम केन्द्रों से प्राप्त मौसमी आंकड़ों के आधार पर दावा भुगतान एवं पात्रता का निर्धारण किया जाता है.]

(क) प्रश्नाधीन अवधि में कृषि फसलों एवं उद्यानिकी फसलों हेतु संचालित फसल बीमा योजना, योजनावार बीमित कृषक, देय प्रीमियम (कृषक अंश, राज्यांश एवं केन्द्रांश) तथा क्रियान्वयक बीमा कंपनी की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" पर है.

(ख) प्रश्नाधीन अवधि में संचालित फसल बीमा योजनाओं में कृषकों द्वारा बीमा क्लेम करने का प्रावधान नहीं है अपितु कृषि फसलों हेतु संचालित फसल बीमा योजनाओं के प्रावधान अनुसार अधिसूचित फसलों की फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज तथा उद्यानिकी फसलों में संचालित पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत योजना के प्रावधान अनुसार अधिसूचित स्व-चलित मौसम केन्द्रों से प्राप्त मौसमी आकड़ों के आधार पर दावा भुगतान एवं पात्रता का निर्धारण किया जाता है.

उक्त योजनाओं में दावा भुगतान की गणना बीमित कृषकवार नहीं करते हुए अधिसूचित बीमा इकाईवार (ग्राम पंचायत एवं राजस्व निरीक्षक मंडल) किया जाता है. प्रश्नाधीन अवधि में योजना प्रावधान अंतर्गत दावा भुगतान हेतु पात्र पाये गये कृषकों की संख्या, दावा भुगतान की गई राशि व शेष राशि का विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" एवं "स" पर है. (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा इकाई क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा आयोजित फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राप्त वास्तविक औसत उपज के आकड़ों के आधार पर निम्न सूत्र के अनुसार दावा गणना की जाती है :-

$$\text{दावा राशि} = \frac{\text{थ्रेसहोल्ड उपज - वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेसहोल्ड उपज}} \times \text{बीमाधन}$$

(थ्रेसहोल्ड उपज = 5 वर्ष की औसत उपज X क्षतिपूर्ति स्तर)

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत योजना के प्रावधान अनुसार अधिसूचित स्व-चलित मौसम केन्द्रों से प्राप्त मौसमी आंकड़ों के आधार निम्न सूत्र के अनुसार दावा भुगतान एवं पात्रता का निर्धारण किया जाता है :-

क्लेम पर युनिट = (डिफरेंस बिटविन आब्सर्वड एण्ड नोटिफाईड इण्डेक्स वैल्यूज) X नोशनल पे-आउट

[पुनरीक्षित उत्तर]

जुलाई, 2018 सत्र के प्रश्नोंत्तरों से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[प्रश्न संख्या 03 (क्र. 546) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला राजनांदगांव में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी

क	वर्ष	मौसम	बीमित कृषक संख्या	दावा भुगतान से लाभान्वित कृषक संख्या
1	2016-17	खरीफ 2016	1,40,722	6,630
2		रबी 2016–17	38,138	10,633
3	2017-18	खरीफ 2017	1,78,878	1,16,594
4		रबी 2017–18	67,778	मौसम रबी वर्ष 2017–18 में स्थानीय क्षति के फलस्वरूप 851 कृषकों को फसल बीमा का लाभ दिया गया है, अंतिम दावा भुगतान गणना की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

टीप :– लंबित दावा भुगतान के प्रकरणो के निराकरण की निश्चित समय–सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रपत्र "ब"

जिला राजनांदगांव में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा की जानकारी

क्र.	वर्ष	बीमित कृषक संख्या	दावा भुगतान से लाभान्वित कृषक संख्या	लंबित भुगतान राशि रू.
1	2016—17 खरीफ	बीमा योजना लागू नहीं थी		
	2016—17 रबी	534	534	निरंक
2	2017—18 खरीफ	476	457	शेष 19 कृषकों का दावा गणना कार्य प्रकियाधीन है।
	2017—18 रबी	832	बीमा दावा गणना कार्य प्रकियाधीन है।	

टीप :— लंबित दावा भुगतान के प्रकरणो के निराकरण की निश्चित समय—सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट "दो"

[प्रश्न संख्या 06 (क्र. 665) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र से संबंधित तहसीलों का बीमित कृषक, बीमा राशि, दावा भुगतान हेतु पात्र कृषक एवं प्रीमियम राशि में कृषक अंश का विवरण

क्र.	मौसम / वर्ष	तहसील	फसल का नाम	प्रति हेक्टेयर बीमित राशि (रू.)	कुल बीमित कृषक संख्या	कृषकों द्वारा दी गई प्रीमियम राशि (रू.)	दावा भुगतान हेतु लाभांवित कृषकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खरीफ 2016	अंबागढ़ चौकी	धान सिंचित	35000	413	582188	0
			धान असिंचित	27500	9751	9959150	0
		छुरिया	धान सिंचित	35000	1307	2050687	0
			धान असिंचित	27500	20451	19391807	0
योग					**31922**	**31983832**	**0**
2	खरीफ 2017	अंबागढ़ चौकी	धान सिंचित	42000	271	529418	153
			धान असिंचित	34500	10476	11064823	5674
		छुरिया	धान सिंचित	42000	540	1201230	372
			धान असिंचित	34500	26432	28914028	24992
योग					**37719**	**41709499**	**31191**
3	रबी 2016–17	अंबागढ़ चौकी	चना	25000	3217	3918842	1251
			अलसी	10000	152	26304	136
			तिवड़ा	8000	465	49478	54
			गेहूं सिंचित	22500	3	3610	3
			गेहूं असिंचित	17000	11	3761	11
		छुरिया	चना	25000	1086	924909	422
			तिवड़ा	8000	416	38841	252
			गेहूं सिंचित	22500	31	9307	30
			गेहूं असिंचित	17000	23	4561	0
योग					**5404**	**4979613**	**2159**
4	रबी 2017–18	अंबागढ़ चौकी	चना	31250	219	87453	दावा गणना प्रक्रियाधीन।
			अलसी	12500	266	33368	
			तिवड़ा	10000	1738	222362	
			गेहूं सिंचित	33000	47	18137	
		छुरिया	चना	31250	1139	918802	
			अलसी	12500	1	151	
			तिवड़ा	10000	6728	1169916	
			गेहूं सिंचित	33000	198	85578	
			गेहूं असिंचित	20000	16	7064	
योग					**10352**	**2542831**	

प्रपत्र "ब"

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र से संबंधित तहसीलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में बीमित कृषक, दावा भुगतान हेतु पात्र कृषक एवं प्रीमियम राशि में कृषक अंश का विवरण

क्र.	वर्ष	तहसील	कृषक संख्या	कुल प्रीमियम राशि रू.				लाभान्वित कृषक संख्या
				कृषक अंश	राज्यांश	केन्द्रांश	योग	
1	2016–17 खरीफ	बीमा योजना लागू नहीं थी।						
1	2016–17 रबी	अम्बागढ़ चौकी	68	107735	301488	301488	**710711**	68
2		छुरिया	14	66187	297065.75	297065.75	**660319**	14
योग			**82**	**173922**	**598553.75**	**598553.75**	**1371030**	**82**
1	2017–18 खरीफ	अम्बागढ़ चौकी	53	174632.50	1078793.13	1078793.13	**2332218.75**	50
2		छुरिया	22	356099.19	1915954.91	1915954.91	**4188009.00**	22
1	2017–18 रबी	अम्बागढ़ चौकी	118	143374.25	593687.13	593687.13	**1330748.50**	बीमा दावा राशि का गणना कार्य प्रकियाधीन है।
2		छुरिया	71	203446.00	899517.50	899517.50	**2002481.00**	
योग			**264**	**8,77,551.94**	**4,487,952.67**	**44,87,952.67**	**98,53,457.25**	**72**

<u>प्रति हेक्टेयर फसल बीमा की राशि</u>

क	फसल का नाम	मौसम/वर्ष		
		2016–17 रबी	2017–18 खरीफ	2017–18 रबी
		प्रति हेक्टेयर बीमा राशि (रू.)		
1	टमाटर	1,25,000	1,57,500	1,57,500
2	बैंगन	87,500	87,500	87,500
3	फूलगोभी	87,500	-	85,750
4	पत्तागोभी	87,500	-	85,750
5	प्याज	62,500	-	84,000
6	अमरूद	-	18,000	-
7	केला	-	2,80,000	-
8	पपीता	-	2,45,000	-
9	मिर्च	-	61,250	-
10	अदरक	-	1,79,000	-

परिशिष्ट "तीन"

[प्रश्न संख्या 07 (क्र. 693) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कृषि फसलों हेतु संचालित फसल बीमा योजनांतर्गत बीमित कृषक एवं प्रीमियम की जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	कंपनी का नाम	बीमित कृषक संख्या	प्रीमियम (लाख रू.)			
					कृषक अंश	राज्यांश	केन्द्रांश	योग प्रीमियम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खरीफ वर्ष 2015	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	1203919	6916.012	668.676	167.169	7751.858
योग खरीफ 2015				**1203919**	**6916.012**	**668.676**	**167.169**	**7751.858**
2	खरीफ वर्ष 2016	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	ईफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1124687	10355.819	5288.935	5288.935	20933.688
3			रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	274502	2399.553	1927.889	1927.889	6255.332
योग खरीफ 2016				**1399189**	**12755.373**	**7216.824**	**7216.824**	**27189.020**
4	खरीफ वर्ष 2017	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	ईफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1042051	10081.465	5968.428	5968.428	22018.321
5			रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	256524	2726.082	2366.428	2366.428	7458.939
योग खरीफ 2017				**1298575**	**12807.547**	**8334.856**	**8334.856**	**29477.260**

प्रपत्र "ब"

खरीफ वर्ष 2015-16, खरीफ वर्ष 2016-17, में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित नहीं थी.
खरीफ वर्ष 2017-18 में उद्यानिकी फसलों हेतु संचालित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत जिलेवार,
प्रभावित किसानों की संख्या एवं बीमा भुगतान की राशि की जानकारी

क्र.	जिला	कृषक संख्या	रकबा (हे.)	कृषक प्रीमियम राशि रू. लाख में	राज्यांश प्रीमियम राशि रू. लाख में	केन्द्रांश प्रीमियम राशि रू. लाख में	कुल प्रीमियम राशि रू.लाख में	बीमा दावा भुगतान				बीमा कंपनी का नाम
								दावा भुगतान हेतु पात्र की जानकारी		दावा भुगतान किया गया		
								कृषक	राशि रू.	कृषक	राशि रू.	
1	रायपुर	77	88.57	2.93	5.94	5.94	14.81	68	181009	68	181009	बजाज एलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2	बलौदाबाजार	149	68.46	1.82	3.83	3.83	9.49	141	465190	141	465190	
3	धमतरी	196	58.28	1.82	3.30	3.30	8.43	178	131494	178	131494	
4	गरियाबंद	54	38.77	1.08	2.52	2.52	6.12	52	293022	52	293022	
5	महासमुंद	40	78.15	2.48	4.35	4.35	11.17	36	319916	36	319916	
6	बिलासपुर	365	259.83	10.56	16.83	16.83	44.23	356	1415943	356	1415943	
7	जांजगीर	183	55.41	2.29	5.06	5.06	12.40	179	231236	179	231236	
8	कोरबा	164	24.17	0.71	1.95	1.95	4.61	150	135143	150	135143	
9	मुंगेली	127	133.63	5.32	6.94	6.94	19.19	112	606624	112	606624	
10	रायगढ़	83	31.18	1.12	2.96	2.96	7.04	76	286846	76	286846	
11	दुर्ग	736	1185.52	54.97	105.01	105.01	264.99	702	10833457	702	10833457	
12	बालोद	50	84.31	3.87	7.29	7.29	18.45	35	1824927	35	1824927	
13	बेमेतरा	720	1382.26	66.55	133.65	133.65	333.84	618	6684286	618	6684286	
14	कबीरधाम	195	267.62	27.22	150.81	150.81	328.85	134	6622129	134	6622129	
15	राजनांदगांव	477	854.31	64.49	353.96	353.96	772.41	458	23755172	458	23755172	
16	जगदलपुर	44	33.55	1.36	2.78	2.78	6.92	29	315881	29	315881	
17	बीजापुर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
18	दंतेवाड़ा	77	15.87	0.99	1.92	1.92	4.82	65	36756	65	36756	

क्र.	जिला	कृषक संख्या	रकबा (हे.)	कृषक प्रीमियम राशि रू. लाख में	राज्यांश प्रीमियम राशि रू. लाख में	केन्द्रांश प्रीमियम राशि रू. लाख में	कुल प्रीमियम राशि रू.लाख में	बीमा दावा भुगतान				बीमा कंपनी का नाम
								दावा भुगतान हेतु पात्र की जानकारी		दावा भुगतान किया गया		
								कृषक	राशि रू.	कृषक	राशि रू.	
19	कांकेर	240	24.11	1.17	2.31	2.31	5.79	237	161872	237	161872	
20	कोण्डागांव	3	5.93	0.19	0.61	0.61	1.41	3	79351	3	79351	
21	नारायणपुर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					बजाज एलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
22	सुकमा	17	14.22	1.22	1.97	1.97	5.16	5	32977	5	32977	
23	सरगुजा	774	112.49	4.46	6.70	6.70	17.85	769	1296807	769	1296807	
24	बलरामपुर	151	18.53	0.65	1.82	1.82	4.28	151	256754	151	256754	
25	जशपुर	138	23.96	0.62	1.85	1.85	4.31	138	216941	138	216941	
26	कोरिया	54	7.90	0.33	0.55	0.55	1.44	54	34190	54	34190	
27	सूरजपुर	148	25.02	0.91	2.29	2.29	5.48	147	303036	147	303036	
		5262	**4892.05**	**259.14**	**827.18**	**827.18**	**1913.49**	**4893.00**	**56520959.00**	**4893.00**	**56520959.00**	

प्रपत्र "स"

कृषि फसलों हेतु संचालित फसल बीमा योजनांतर्गत दावा भुगतान हेतु शेष दावा भुगतान की जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	कंपनी का नाम	जिला	दावा भुगतान		दावा भुगतान हेतु शेष	
					कृषक संख्या	राशि (लाख रू.)	कृषक संख्या	राशि (लाख रू.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खरीफ 2015	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	बालोद	73507	7284.037	0	0.000
2				बलौदाबाजार	10471	421.262	0	0.000
3				बलरामपुर	5014	312.463	0	0.000
4				बस्तर	11001	1528.256	0	0.000
5				बेमेतरा	38120	2557.342	0	0.000
6				बीजापुर	3883	418.460	0	0.000
7				बिलासपुर	24617	1626.074	0	0.000
8				दंतेवाड़ा	731	171.139	0	0.000
9				धमतरी	49471	4569.867	0	0.000
10				दुर्ग	44303	4425.448	0	0.000
11				गरियाबंद	27223	3663.356	0	0.000
12				जांजगीर	14498	929.426	0	0.000
13				जशपुर	1690	30.397	0	0.000
14				कांकेर	29781	3273.173	0	0.000
15				कबीरधाम	56487	6423.079	0	0.000
16				कोंडागांव	13941	1753.135	0	0.000
17				कोरबा	11572	692.511	0	0.000
18				कोरिया	12588	1012.085	0	0.000
19				महासमुंद	37259	4298.850	0	0.000
20				मुंगेली	7416	323.450	0	0.000
21				नारायणपुर	1973	278.879	0	0.000
22				रायगढ़	428	7.335	0	0.000
23				रायपुर	9403	511.208	0	0.000
24				राजनांदगांव	170408	22714.247	0	0.000
25				सुकमा	568	43.854	0	0.000
26				सूरजपुर	7807	210.840	0	0.000
27				सरगुजा	2245	124.540	0	0.000
				योग	**666405**	**69604.716**	**0**	**0.000**
1	खरीफ 2016	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	ईफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	बलौदाबाजार	5618	726.553	0	0.000
2				बलरामपुर	169	5.747	0	0.000
3				बस्तर	291	30.639	0	0.000
4				बीजापुर	170	15.528	0	0.000
5				बिलासपुर	6673	672.354	0	0.000
6				दंतेवाड़ा	0	0.000	0	0.000
7				धमतरी	592	28.795	0	0.000
8				दुर्ग	556	108.892	0	0.000
9				गरियाबंद	808	27.351	0	0.000
10				जांजगीर	85	4.627	0	0.000
11				जशपुर	1	0.029	0	0.000
12				कबीरधाम	11168	1207.027	0	0.000
13				कांकेर	393	18.792	0	0.000
14				कोंडागांव	21	0.969	0	0.000
15				कोरिया	0	0.000	0	0.000
16				महासमुंद	16260	2421.860	0	0.000
17				नारायणपुर	0	0.000	0	0.000
18				रायगढ़	46	2.734	0	0.000
19				रायपुर	821	63.838	0	0.000
20				राजनांदगांव	6630	636.505	0	0.000
21				सरगुजा	25	0.260	0	0.000
				योग	**50327**	**5972.501**	**0**	**0.000**
22			रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	बालोद	203	7.223	0	0.000
23				बेमेतरा	41603	6511.302	0	0.000
24				कोरबा	302	23.005	0	0.000
25				मुंगेली	4063	750.898	0	0.000
26				सुकमा	146	22.008	0	0.000
27				सूरजपुर	301	10.177	0	0.000
				योग	46618	**7324.613**	**0**	**0.000**

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	कंपनी का नाम	जिला	दावा भुगतान		दावा भुगतान हेतु शेष	
					कृषक संख्या	राशि (लाख रू.)	कृषक संख्या	राशि (लाख रू.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खरीफ 2017	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	ईफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	बलौदाबाजार	55116	12502.591	4577	1220.359
2				बलरामपुर	0	0.000	133	3.929
3				बस्तर	509	17.101	165	17.613
4				बीजापुर	1569	202.497	948	189.022
5				बिलासपुर	30809	7027.554	4560	1025.644
6				दंतेवाड़ा	3269	725.712	226	31.491
7				धमतरी	19113	2437.912	2286	395.709
8				दुर्ग	29119	5757.496	1688	199.860
9				गरियाबंद	15629	2098.202	522	61.599
10				जांजगीर	8358	1012.950	488	38.754
11				जशपुर	0	0.000	453	2.514
12				कबीरधाम	15876	2716.735	4375	734.425
13				कोंडागांव	4256	656.329	6	0.335
14				कोरिया	1667	168.712	67	1.185
15				महासमुंद	39316	9474.510	2247	704.276
16				नारायणपुर	0	0.000	384	122.946
17				रायगढ़	12869	2149.586	1210	156.659
18				रायपुर	22234	4148.703	2136	433.196
19				राजनांदगांव	143258	43900.458	8448	2710.248
20				सरगुजा	54	0.697	522	0.717
21				कांकेर	24052	5414.023	494	73.907
				योग	**427073**	**100411.767**	**35935**	**8124.390**
22			रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	बालोद	18046	2363.664	0	0.000
23				बेमेतरा	72420	16047.096	0	0.000
24				कोरबा	1494	346.856	0	0.000
25				मुंगेली	8479	1996.744	0	0.000
26				सुकमा	473	98.409	0	0.000
27				सूरजपुर	195	47.625	0	0.000
				योग	**101107**	**20900.395**	**0**	**0.000**

जुलाई, 2018 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची

क्रमांक	दिनांक	प्रश्न संख्या (क्रमांक)	विभाग का नाम	संशोधन /शुद्धि पत्र
1	दिनांक 02 जुलाई, 2018 से संबंधित शुद्धि पत्र।			
2	03.07.18	ता. सं–3(क्र–153)	सहकारिता	संशोधन
3	03.07.18	ता. 8 (क्र–373)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
4	03.07.18	ता. 17 (क्र–485)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	संशोधन
5	दिनांक 03 जुलाई, 2018 से संबंधित शुद्धि पत्र।			
6	04.07.18	ता. 8 (क्र–500)	वाणिज्यिक कर	संशोधन
7	04.07.18	ता. 12 (क्र–202)	नगरीय प्रशासन एवं विकास	संशोधन
8	दिनांक 04 जुलाई, 2018 से संबंधित शुद्धि पत्र।			
9	05.07.18	ता. 12 (क्र–681)	जल संसाधन	संशोधन
10	दिनांक 05 जुलाई, 2018 से संबंधित शुद्धि पत्र।			
11	06.07.18	ता. 23 (क्र–201)	लोक निर्माण	संशोधन
12	दिनांक 06 जुलाई, 2018 से संबंधित शुद्धि पत्र।			

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

मंगलवार, दिनांक 02 जुलाई 2018 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 2 (क्र. 308) उत्तर / सरल क्रमांक 1	(समस्त एडशिन)	(समस्त **एडिशन**)
ता.प्र.सं. 3 (क्र. 125) प्रश्न (क)	अतिरिक्त ट्रांसफामर लगाए	अतिरिक्त **ट्रांसफार्मर** लगाए
ता.प्र.सं. 20 (क्र. 150) उत्तर (क)	संलग्न प्रपत्र "अ" में	संलग्न **परिशिष्ट** में
ता.प्र.सं. 22 (क्र. 21) प्रश्न	कब तक कर ली जावेगी	कब तक **पूर्ण** कर ली जावेगी
ता.प्र.सं. 24 (क्र. 62) प्रश्न (क)	जिला राजनांदगांव मे 2016–17	जिला राजनांदगांव मे **वर्ष** 2016–17
ता.प्र.सं. 25 (क्र. 359) प्रश्न (क)	श्रम कल्याण उपकार के	श्रम कल्याण **उपकर** के

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

ता.प्र.सं. 04 (क्र. 30) परिशिष्ट "दो" / शीर्षक / पृ.क्र.– **A-4**	वजन त्यौहार 2017 के आधार विकासखंडवार	वजन त्यौहार 2017 के आधार **पर** विकासखंडवार

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 01 जुलाई, 2018

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 03.07.2018 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 1–2 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–3 (क्रमांक–153) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर में, दी गई तालिका :–

विवरण	किसानों की संख्या	अनुदान राशि (लाखों में)
सहकारी समितियों के माध्यम से	2,16,279	2,940.26
बैंकों के माध्यम से	2,70,348	9,988.52

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित तालिका पढ़ी जावें :–

वर्ष	किसान संख्या		ब्याज अनुदान राशि (लाखों में)	
	सहकारी समितियों के माध्यम से	बैंकों के माध्यम से	सहकारी समितियों के माध्यम से	बैंकों के माध्यम से
2014–15	51024	2013	1788.40	35.45
2015–16	43109	1613	1861.16	31.43
2016–17	46034	1665	2462.46	32.69
2017–18	50107	1627	2756.90	43.58
2018–19 (मई 2018 तक)	26005	627	वितरित ऋण के विरूद्ध ब्याज अनुदान की गणना कृषक द्वारा निर्धारित समय–सीमा तक ऋण अदायी के उपरांत ही की जा सकेगी।	

(दयाल दास बघेल)
मंत्री
सहकारिता विभाग

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारुप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक **03 जुलाई, 2018** की प्रश्नोत्तरी सूची के पृष्ठ क्रमांक **03** के मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या **08** (तारांकित प्रश्न क्रमांक 373) में,

मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग **'क'** एवं **'ख'** से संबंधित **''परिशिष्ट–चार''** के स्थान पर संलग्न **''संशोधित परिशिष्ट–चार''** पढ़ा जावें।

(अजय चन्द्राकर)
मंत्री
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

संशोधित परिशिष्ट "चार"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 373 द्वारा माननीय सदस्य श्री लालजीत सिंह राठिया

रायगढ़ जिले में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्ष 2017–18 से मई, 2018 तक स्वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यो तथा मजदूरी भुगतान की विकासखण्डवार जानकारी

(राशि रू.लाख में)

क्रं.	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत कार्य की राशि	स्वीकृत कार्य की संख्या	पूर्ण कार्य की संख्या	अपूर्ण कार्य की संख्या	मजदूरी भुगतान किया जाना था	मजदूरी भुगतान किया गया	मजदूरी भुगतान लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बरमकेला	1631.76	971	344	519	993.03	930.62	62.41
2	धरमजयगढ़	2995.17	3083	1216	839	1097.37	1091.77	5.60
3	घरघोड़ा	1141.77	548	239	109	532.69	528.84	3.85
4	खरसिया	1801.42	6237	5869	200	769.08	757.17	11.91
5	पुसौर	2081.99	5459	2549	1912	1626.27	1610.48	15.79
6	लैलूंगा	2085.52	3768	1962	1250	798.75	798.75	0.00
7	रायगढ़	911.96	1291	707	324	839.52	821.37	18.15
8	सारंगढ़	3858.00	12896	8966	3400	1805.06	1799.90	5.16
9	तमनार	609.99	354	192	120	457.09	445.69	11.40
	योग	**17117.57**	**34607**	**22044**	**8673**	**8918.86**	**8784.59**	**134.27**

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 03/07/2018 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 05 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 17 (कमांक–485) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग

"ख" में विर्णित "रिक्त पदों पर डॉक्टरों की भर्ती के लिए महाविद्यालय स्तर पर संविदा नियुक्ति हेतु प्रति कार्य दिवस "वाक–इन–इन्टरव्यू" आयोजित की जा रही है। रिक्त पद भरने के लिये समय–सीमा बताया जाना संभव नहीं है।"

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :–

"रिक्त पदों पर डॉक्टरों की भर्ती के लिए महाविद्यालय स्तर पर संविदा नियुक्ति हेतु प्रति कार्य दिवस "वाक–इन–इन्टरव्यू" आयोजित की जा रही है। तथा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें स्तर से संविदा आधार पर पदपूर्ति करने हेतु विज्ञापित कर साक्षात्कार (वाक–इन–इन्टरव्यू) के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। जिसके तहत् माह दिसम्बर 2016 से मई 2018 तक माह के प्रत्येक प्रथम शनिवार को सम्पन्न साक्षात्कार में जिला राजनांदगांव अंतर्गत 17 संविदा चिकित्सकों को पदांकित किया गया है। वर्ष 2016 से मई 2018 तक 06 पीजी बांडेड तथा 30 एमबीबीएस बांडेड छात्र/चिकित्सकों को भी राजनांदगांव के स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा भी माह के प्रत्येक सोमवार को साक्षात्कार (वाक–इन–इन्टरव्यू) के माध्यम से चिकित्सकों/विशेषज्ञों (पोस्ट ग्रेज्यूवेट चिकित्सा अधिकारी) की पद पूर्ति की जाती है, जिसके तहत् 01 विशेषज्ञ चिकित्सक पदांकित किया गया है। रिक्त पद भरने के लिये समय–सीमा बताया जाना संभव नहीं है।"

(अजय चंद्राकर)
मंत्री
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

मंगलवार, दिनांक 03 जुलाई 2018 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 12 (क्र. 45) उत्तर	संलग्न परिशिष्ट परदर्शित है	संलग्न परिशिष्ट **पर दर्शित** है
ता.प्र.सं. 15 (क्र. 127) शीर्षक	दवाईयां एवं उपकरणों	**दवाईयों** एवं उपकरणों
ता.प्र.सं. 15 (क्र. 127) उत्तर (क)	उपरकणों हेतु प्राप्त	**उपकरणों** हेतु प्राप्त
ता.प्र.सं. 21 (क्र. 23) प्रश्न	स्वच्छ भारत **मिशन** अभियान	स्वच्छ भारत अभियान
ता.प्र.सं. 21 (क्र. 23) प्रश्न	कब तक पूर्ण कर लिया	कब तक पूर्ण **करा** लिया
ता.प्र.सं. 21 (क्र. 23) उत्तर	जल एंव स्वच्छता समिति	जल **एवं** स्वच्छता समिति
ता.प्र.सं. 22 (क्र. 353) प्रश्न (ग)	बलौदाबजार भाटापारा	**बलौदाबाजार** भाटापारा
ता.प्र.सं. 22 (क्र. 353) उत्तर	परिवारों में से 15,30,130 परिवार	परिवारों में से **15,03,130** परिवार
नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर		
परि.अता.प्र.सं. 25 (क्र. 374) उत्तर (क)	जिले में बेसलाईनप सर्वेक्षण	जिले में **बेसलाईन** सर्वेक्षण
परि.अता.प्र.सं. 29 (क्र. 398) उत्तर (ख)	श्री बी. आर. साहू का निलंबन	श्री बी. आर. साहू **को** निलंबन
परि.अता.प्र.सं. 33 (क्र. 471) उत्तर (क)	71 ग्राम पनंचायत में	71 ग्राम **पंचायत** में
अतारांकित प्रश्नोत्तर		
अता.प्र.सं. 25 (क्र. 294) उत्तर	संलग्न परिशिष्ट–**एक**–अनुसार	संलग्न परिशिष्ट अनुसार
अता.प्र.सं. 34 (क्र. 393) उत्तर (क)	1805 पॉस मीशनें	1806 पॉस **मशीनें**

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 02 जुलाई, 2018

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 04.07.2018 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 3 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 500) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (क) के परिशिष्ट में वित्तीय वर्ष 2017–18 में विक्रय हुए बीयर की मात्रा एवं खरीदी दर के कॉलम नं. 6 एवं कॉलम नं. 10 में **"न्युनतम फुटकर विक्रय दर (प्रति नग)"** अंकित है।

के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :–

"फुटकर विक्रय दर (प्रति नग)"

(माननीय मंत्री)

संशोधित उत्तर

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 04/07/2018 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 04 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्रमांक 202) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'क' से संबंधित प्रपत्र-'अ' तथा उत्तर के भाग-'ख' से संबंधित प्रपत्र-'ब' के स्थान पर संलग्न पुनरीक्षित प्रपत्र-'अ' एवं प्रपत्र-'ब' पढ़ा जावे।

(अमर अग्रवाल)
मंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास

प्रपत्र – अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 202 की जानकारी

माननीय सदस्य – श्री विद्यारतन भसीन (वि.स.स.)

(राशि रू. लाख में)

क्रं.	निकाय का नाम	वर्ष 2016–17 में स्वीकृत राशि	वर्ष 2017–18 में स्वीकृत राशि	वर्ष 2018–19 (01 अप्रैल 2018 से 31 मई 2018 तक) में स्वीकृत राशि
जल प्रदाय योजना				
1	नगर निगम दुर्ग	338.50	15145.00	-
2	नगर निगम भिलाई	24273.00	-	-
3	नगर निगम भिलाई–चरौदा	-	3120.00	-
4	नगर पालिका अहिवारा	9.44	7.71	-
5	नगर पालिका कुम्हारी	445.87	-	-
6	नगर पालिका जामुल	-	-	-
7	नगर पंचायत पाटन	-	-	-
8	नगर पंचायत उतई	-	-	-
9	नगर पंचायत धमधा	4.85	6.71	-
	योग	**25071.66**	**18279.42**	-
भागीरथी नल जल योजना				
1	नगर निगम दुर्ग	-	-	-
2	नगर निगम भिलाई	-	-	-
3	नगर निगम भिलाई–चरौदा	-	-	-
4	नगर पालिका अहिवारा	-	-	-
5	नगर पालिका कुम्हारी	-	-	-
6	नगर पालिका जामुल	-	-	-
7	नगर पंचायत पाटन	-	-	-
8	नगर पंचायत उतई	-	-	-
9	नगर पंचायत धमधा	-	-	-

प्रपत्र – ब

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 202 की जानकारी

माननीय सदस्य – श्री विद्यारतन भसीन (वि.स.स.)

(राशि रू. लाख में)

क्रं.	निकाय का नाम		कार्य का नाम	वर्ष 2016–17 से 31 मई 2018 तक व्यय की गई राशि का विवरण
जल प्रदाय योजना				
1	नगर निगम दुर्ग	1	पाईप लाईन विस्तार कार्य	363.96
		2	ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण एवं अन्य कार्य	250.31
		3	डिस्टीब्यूशन पाईप लाईन बिछाने का कार्य एवं अन्य संबंधी कार्य	2190.00
2	नगर निगम भिलाई	1	66 एम.एल.डी. एवं 6 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र निर्माण कार्य	1386.48
		2	10 नग उच्च स्तरीय जलागार निर्माण कार्य	830.33
		3	मुख्य पाईप लाईन बिछाने का कार्य	2237.20
		4	डिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन बिछाने का कार्य	2969.75
		5	एलाइड सिविल वर्क	163.23
3	नगर निगम भिलाई–चरौदा	1	एनीकट निर्माण कार्य	168.05
		2	इंटेकवेल निर्माण कार्य	167.93
		3	27 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र निर्माण कार्य	555.28
		4	क्लीयर वाटर ग्रैवेटीमेन निर्माण कार्य	190.63
		5	जोन क्रमांक 01 में उच्च स्तरीय जलाकार निर्माण कार्य	166.91
		6	जोन क्रमांक 02 में उच्च स्तरीय जलाकार निर्माण कार्य	106.94
		7	रॉव वाटर पम्पिंग मेन निर्माण कार्य	1216.33
		8	एम.बी.आर. निर्माण कार्य	140.48
		9	क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन निर्माण कार्य	608.69
		10	जोन क्रमांक 01 में डिस्टीब्यूशन पाईप लाईन बिछाने का कार्य	1127.95
		11	जोन क्रमांक 02 में डिस्टीब्यूशन पाईप लाईन बिछाने का कार्य	356.76
		12	एपरोच रोड (पहुच मार्ग) निर्माण कार्य	17.35
		13	बाण्उड्रीवॉल निर्माण कार्य	14.32
		14	अन्य संबंधी कार्य	393.54
4	नगर पालिका कुम्हारी		-	-
5	नगर पालिका अहिवारा	1	पाईपलाईन मरम्मत सामग्री क्रय	0.94
		2	पेयजल व्यवस्था हेतु नलजल सामग्री क्रय	14.38
		3	पेयजल व्यवस्था हेतु नलजल सामग्री क्रय	0.95
6	नगर पालिका जामुल		-	-
7	नगर पंचायत धमधा	1	पाईप लाईन विस्तार, हैण्डपंप सामग्री क्रय, टेंकर किराया	8.72

क्र.	निकाय का नाम		कार्य का नाम	वर्ष 2016–17 से 31 मई 2018 तक व्यय की गई राशि का विवरण
8	नगर पंचायत पाटन		-	-
9	नगर पंचायत उतई		-	-
भागीरथी नल जल योजना				
1	नगर निगम दुर्ग		नल संयोजन	61.99*
2	नगर निगम भिलाई		नल कनेक्शन एवं पाईप लाईन विस्तार कार्य	44.82*
3	नगर निगम भिलाई–चरौदा		-	-
5	नगर पालिका कुम्हारी		-	-
4	नगर पालिका अहिवारा		-	-
			-	-
6	नगर पालिका जामुल		-	-
9	नगर पंचायत धमधा		-	-
7	नगर पंचायत पाटन		-	-
8	नगर पंचायत उतई		-	-

*** भागीरथी नल जल योजना की राशि वर्ष 2016–17 के पूर्व आबंटित की गई थी।**

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

मंगलवार, दिनांक 04 जुलाई 2018 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 1 (क्र. 267) शीर्षक	जल आवर्धन की लागत	जल आवर्धन **योजना** की लागत
ता.प्र.सं. 2 (क्र. 24) शीर्षक	मृत्यु का मुआवजा **कार्यवाही**	मृत्यु का मुआवजा
ता.प्र.सं. 15 (क्र. 46) प्रश्न (ख)	वित्त वर्ष मई 2018 की स्थिति	वित्त वर्ष **में** मई 2018 की स्थिति
ता.प्र.सं. 25 (क्र. 521) उत्तर (क)/तालिका/स्तंभ 3 से 7 में अंकित शीर्षक	औसतन भू–जल में हुई	औसतन भू–जल **स्तर** में हुई
नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर		
परि.अता.प्र.सं. 2 (क्र. 47) उत्तर (क)	41–4406–4242	41–4406–**4342**
परि.अता.प्र.सं. 6 (क्र. 354) शीर्षक	कटाई एवं निलामी	कटाई एवं **नीलामी**
परि.अता.प्र.सं. 6 (क्र. 354) प्रश्न (ख)	कितने लकड़ियां नीलाम	**कितनी** लकड़ियां नीलाम
परि.अता.प्र.सं. 6 (क्र. 354) प्रश्न (ख)	कितने राशि प्राप्त हुई	**कितनी** राशि प्राप्त हुई
परि.अता.प्र.सं. 12 (क्र. 495) शीर्षक	स्पार्ट सोर्स	**स्पॉट** सोर्स
अतारांकित प्रश्नोत्तर		
अता.प्र.सं. 27 (क्र. 395) प्रश्न (ख)	फ्लोराइड एवं असेनिक	फ्लोराइड एवं **आर्सेनिक**

दिनांक 03 जुलाई, 2018 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–2 (क्र. 24) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 03 जुलाई, 2018

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 05 जुलाई, 2018 को प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 04 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्रमांक 681) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'क' में " .... स्वीकृत कार्यों की जानकारी विभिन्न विभागों से प्राप्त कर संलग्न प्रपत्र 'अ' से 'द' में दर्शित है. .... " के स्थान पर " .... स्वीकृत कार्यों की जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' से 'द' में दर्शित है. ......" संशोधित कर पढ़ा जावें.

तथा

उत्तर से संबंधित प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर में संलग्न प्रपत्र 'अ' में वर्ष 2017-18 के सरल क्रमांक 01 के स्तम्भ क्र. 08 में मुद्रित "अप्रारम्भ (निविदा स्वीकृत)" के स्थान पर "दिनांक 27-06-2018 को एजेंसी निर्धारित" संशोधित कर पढ़ा जावे.

हस्ता./
(बृजमोहन अग्रवाल)
मंत्री
कृषि, पशुपालन, मछलीपालन,
जलसंसाधन, आयाकट, धार्मिक
न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

गुरूवार, दिनांक 05 जुलाई 2018 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध

तारांकित प्रश्नोत्तर

ता.प्र.सं. 8 (क्र. 413) शीर्षक	पलारी विधानसभा क्षेत्र के	**पल्लारी** विधानसभा क्षेत्र के
ता.प्र.सं. 9 (क्र. 693) प्रश्न (क)	किसानों में बीमा कराया	किसानों **ने** बीमा कराया
ता.प्र.सं. 13 (क्र. 558) उत्तर (क)	जिला बलरामपु-रामानुजगंज	जिला **बलरामपुर**-रामानुजगंज
ता.प्र.सं. 13 (क्र. 558) उत्तर (ग)	रामचन्दरपुर के 6 ग्राम	रामचन्दरपुर के 6 **ग्रामों**
ता.प्र.सं. 13 (क्र. 558) उत्तर (ग)	नुकसान से मुआवजे	नुकसान **के** मुआवजे
ता.प्र.सं. 22 (क्र. 717) शीर्षक	जिला बलोदा बाजार भाटापारा	जिला बलौदाबाजार भाटापारा
ता.प्र.सं. 23 (क्र. 72) उत्तर (क)	मात्र जगरगुड़ा ही	मात्र **जगरगुंडा** ही
ता.प्र.सं. 23 (क्र. 72) उत्तर (क)/तालिका/क्रमांक 1 के सम्मुख अंकित	जगरगुड़ा	**जगरगुंडा**

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

परि.अता.प्र.सं. 5 (क्र. 92) उत्तर (ख)	जारकारी संलग्न परिशिष्ट में	जारकारी †† संलग्न परिशिष्ट में
परि.अता.प्र.सं. 11 (क्र. 241) शीर्षक	वाटरशेड मनेजमेंट	वाटरशेड **मैनेजमेंट**
परि.अता.प्र.सं. 11 (क्र. 241) उत्तर (ख)	समाचार के परिपेक्ष्य में	समाचार के **परिप्रेक्ष्य** में
परि.अता.प्र.सं. 26 (क्र. 577) उत्तर (ग)/तालिका/योजना (1)-बकरी पालन के स्तंभ-(6) (ओडगी)	1564 000	1564000
परि.अता.प्र.सं. 30 (क्र. 600) शीर्षक	आई.टी.आई	**आर.टी.आई**
परि.अता.प्र.सं. 34 (क्र. 613) प्रश्न (क)	खरीफ फलस में	खरीफ **फसल** में

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अता.प्र.सं. 36 (क्र. 611) उत्तर (क)	जानकारी संलग्न प्रपत्र में	जानकारी †† **संलग्न परिशिष्ट** में
अता.प्र.सं. 37 (क्र. 629) उत्तर (ख)	† संलग्न पर है	† संलग्न **परिशिष्ट** पर है

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

ता.प्र.सं. 04 (क्र. 331) परिशिष्ट "चार"/शीर्षक/पृ.क्र.- A-7	अरपा-भौंसाझार बैराज	अरपा-**भैंसाझार** बैराज

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परि.अता.प्र.सं. 05 (क्र. 92) परिशिष्ट "उन्नीस"/शीर्षक/पृ.क्र.- A-51	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 92) के भाग (क) की जानकारी	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 92) के भाग (क) **एवं (ख)** की जानकारी
परि.अता.प्र.सं. 38 (क्र. 613) परिशिष्ट "इक्तालीस"/शीर्षक/पृ.क्र.- A-110	परिशिष्ट "चालीस"	परिशिष्ट "**इक्तालीस**"
परि.अता.प्र.सं. 38 (क्र. 613) परिशिष्ट "इक्तालीस"/शीर्षक/पृ.क्र.- A-110	प्रश्न संख्या 38 (क्र. 613) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी	प्रश्न संख्या 38 **(क्र. 648)** के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी

दिनांक 05 जुलाई, 2018 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित** प्रश्न संख्या-1 (क्र. 665), संख्या-9(क्र. 693), संख्या-16(क्र. 546) का पुनरीक्षित उत्तर तथा **परिवर्तित अतारांकित** प्रश्न संख्या-17(क्र. 414) संख्या-31(क्र. 601) एवं **अतारांकित** प्रश्न संख्या-45(क्र. 661) का पृथक वितरित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 04 जुलाई, 2018

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारुप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 06.07.2018 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 06 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक–201) में, मैं निम्नानुसार संशोधित करना चाहता हूँ :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग क एवं ख से संबंधित परिशिष्ट सात के स्थान पर पुनरीक्षित परिशिष्ट सात पढ़ा जावे।

(राजेश मूणत)
मंत्री
लोक निर्माण, आवास
एवं पर्यावरण, परिवहन विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

पुनरीक्षित परिशिष्ट "सात"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रं. 201 द्वारा माननीय श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य विधानसभा वैशालीनगर विधानसभा क्षेत्र में सड़को का मरम्मत व डामरीकरण विषयक।

क्रं.	वर्ष	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रू. लाख में)	स्वीकृति का दिनांक	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य के संबंध में गुणवत्ता संबंधी शिकायत
1	2	3	4	5	6	7
1	वर्ष 2016–17					
	(अ) मरम्मत	1) जुनवानी कोहका कुरूद मार्ग में बी.टी. पेच मरम्मत कार्य	13.20	17.10.17	कार्य पूर्ण	कोई शिकायत प्राप्त नही।
		2) जुनवानी कोहका कुरूद मार्ग में बी.टी. पेच मरम्मत कार्य	18.66	17.3.17	कार्य पूर्ण	कोई शिकायत प्राप्त नही।
		योग – 2 कार्य	31.86	–	2 कार्य पूर्ण	–
	(ब) डामरीकरण	——निरंक——				
2	वर्ष 2017–18					
	(अ) मरम्मत	1) जुनवानी कोहका कुरूद मार्ग में बी.टी. पेच मरम्मत कार्य	5.59	23.5.17	कार्य पूर्ण	कोई शिकायत प्राप्त नहीं।
		2) जुनवानी कोहका कुरूद मार्ग में बी.टी. पेच मरम्मत कार्य	12.61	6.2.18	कार्य पूर्ण	कोई शिकायत प्राप्त नहीं।
		योग – 2 कार्य	18.20	–	2 कार्य पूर्ण	–

क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रू. लाख में)	स्वीकृति का दिनांक	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य के संबंध में गुणवत्ता संबंधी शिकायत
1	2	3	4	5	6	7
	(ब) डामरीकरण (बी.टी. रिनीवल कार्य)	जुनवानी कोहका कुरूद मार्ग के कि.मी. 1, 2, 3 = 3.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य	60.00	15.11.17	इस मार्ग हेतु योजनान्तर्गत दिनांक 31.3.2018 को पुनः निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण कार्य नहीं कराया जाना है।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं।
		जुनवानी कोहका कुरूद मार्ग के कि.मी. 4, 5, 6 = 3.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य	60.00	15.11.17	इस मार्ग हेतु योजनान्तर्गत दिनांक 31.3.2018 को पुनः निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण कार्य नहीं कराया जाना है।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं।
		जुनवानी कोहका कुरूद मार्ग के कि.मी. 7, 11, 12/2 = 2.20 कि.मी. में डामरीकरण कार्य	50.00	15.11.17	इस मार्ग हेतु योजनान्तर्गत दिनांक 31.3.2018 को पुनः निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण कार्य नहीं कराया जाना है।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं।
		योग – 3 कार्य	170.00	–	3 कार्य आवश्यकता नहीं है।	–
	(ब) डामरीकरण	जिला दुर्ग के जुनवानी कोहका कुरूद मार्ग (जामुल बोगदा पुलिया से रायपुर नाका दुर्ग तक) सड़क उन्नयन कार्य लं. 11.20 कि.मी.	4935.05	31.3.18	निविदा दिनांक 3.7.2018 को खोली जावेगी।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं।
		योग – 1 कार्य	4935.05	–	1 कार्य निविदा स्तर पर	–

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक 06 जुलाई 2018 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
	तारांकित प्रश्नोत्तर	
ता.प्र.सं. 4 (क्र. 711) प्रश्न	गिट्टी की 88940 घन मीटर	**गिट्टी** की 88940 घन मीटर
ता.प्र.सं. 5 (क्र. 720) प्रश्न	यदि नहीं ते कब तक	यदि नहीं **तो** कब तक
ता.प्र.सं. 6 (क्र. 595) उत्तर (क)/तालिका/स्तंभ 1-अनुभाग का नाम	पखाजुर	**पखांजुर**
ता.प्र.सं. 11 (क्र. 568) शीर्षक	धरमजगढ़	**धरमजयगढ़**
ता.प्र.सं. 12 (क्र. 670) प्रश्न (ख)	आर्थिक अनियमिता	आर्थिक **अनियमितता**
ता.प्र.सं. 14 (क्र. 466) प्रश्न	क्या लोक मंत्री महोदय	क्या लोक **निर्माण** मंत्री महोदय
ता.प्र.सं. 16 (क्र. 545) शीर्षक	सलहाकारों के स्वीकृत	**सलाहकारों** के स्वीकृत
ता.प्र.सं. 17 (क्र. 583) प्रश्न	क्या लोक मंत्री महोदय	क्या लोक **निर्माण** मंत्री महोदय
ता.प्र.सं. 18 (क्र. 767) प्रश्न	क्या लोक मंत्री महोदय	क्या लोक **निर्माण** मंत्री महोदय
ता.प्र.सं. 20 (क्र. 725) प्रश्न	क्या लोक मंत्री महोदय	क्या लोक **निर्माण** मंत्री महोदय

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 05 जुलाई, 2018

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर-536-0 2018-540